	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
[illegible]/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली सामिक कार्यवाही हेतु दिनांक 20/8/25 को पेश हो [signature]	
20/8/25	वकील प्रार्थी उप०। जवाब पेशकार सरकार अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार एवं बहस दि० 11/9/25 को पेश हो। [signature]	
11/9/25	वकील प्रार्थी उप०। जवाब पेशकार सरकार प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस दि० 14/10/25 को पेश हो। [signature]	
14/10/25	वकील प्रार्थी उप०। बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दिनांक 25/11/25 को पेश हो। [signature]	
25/11/25	वकील पक्षकारान उप०। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। प्रा० पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०नाम० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
180/प्रा.पत्र/2024	16.05.2024	25.11.2025

कमलेश मीणा उम्र 42 वर्ष आत्मज हजारी लाल उर्फ हजारा निवासी भूमाखेड़ा (लाडपुर) हाल निवास नई बस्ती सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. हजारा उम्र वर्ष आत्मज लक्ष्मण निवासी भूमाखेड़ा (लाडपुर) हाल निवास बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
2. मुकेश उम्र वर्ष आत्मज हजारा निवासी भूमाखेड़ा (लाडपुर) हाल निवास बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
3. मनिषा उम्र वर्ष पुत्री हजारा पत्नी सोनू मीणा निवासी भूमाखेडा (लाडपुर) तहसील तालेडा जिला बून्दी, हाल निवास डी.सी. एम. कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
4. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री ग्यारसीलाल गुर्जर
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री धनराज मीणा

– : : **निर्णय** : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या 414 पुराना 387 खसरा संख्या 115/103 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 1154/285 रकबा 0.3480 हैक्टेयर नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 11457/286 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय कुल किता 3 कुल रकबा 1.4244 हैक्टेयर जो ग्राम भूमाखेड़ा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान विस्थित है। जो कि वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अनुसूचित जन जाति मीणा के सदस्य है जिन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। जिसके तहत पुत्र उत्तराधिकारी की जिवित अवस्था मे पुत्री उत्तराधिकार का कोई हक व अधिकार नही होता है इस प्रकार वाद वर्णित जो कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थी का वाद वर्णित भूमि पर 1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 का भी 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 2 का भी 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि पर खातेदारी दर्ज होने के कारण उक्त भूमि में निहित 1/3 हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान करने पर आमादा हो रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर 1/3 हिस्सा ही निहित है। 1/3 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से वाद वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है पर निहित 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करावे साथ ही मे विधिवत विभाजन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 से प्राप्त कर पृथक से 1/3 हिस्से को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एंव सीमाज्ञान के आधार पर राजस्व नक्शे में पृथक से तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थी संख्या 1 एंव 4 को इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान भार ग्रस्त नही करें। अप्रार्थी 4 वाद वर्णित भूमि के किसी भी हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नही करें। अप्रार्थी संख्या 4 किसी भी हस्तान्तरण विलेख के आधार पर किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम नामान्तकरण तस्दीक नही करें। दिनांक 03–04–2024 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से वाद वर्णित भूमि मे निहित प्रार्थी का 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने वाद वर्णित भूमि पर निहित प्रार्थी के 1/3 हिस्से पर हक व अधिकार मानने से इन्कार कर दिया साथ ही मे प्रार्थी के 1/3 हिस्से को भी अन्यत्र रहन बैचान करने की धमकी लगाई इस प्रकार वाद प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक

[redacted]-04-2024 को उत्पन्न हुआ जो निरन्तर बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 सहहिस्सेदार होने के कारण उक्त वाद में [redacted]कार बनाया गया है। वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम भूमाखेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद को निर्णय करने व सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी करने की कृपा करें कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या 414 पुराना 387 ख. सं. 1150/103 रकबा 0.7527 हैक्टे. किस्म नहरी द्वितीय, ख. सं. 1154/285 रकबा 0.3480 हैक्टेयर नहरी द्वितीय, ख. सं. 11457/286 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय कुल किता 3 कुल रकबा 1.4244 हैक्टेयर जो ग्राम भूमाखेड़ा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान विस्थित है पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एंव तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि उक्त 1/3 हिस्से का माप व सीमाज्ञान के आधार पर बंटवारा कर पृथक से दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रार्थी को इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि अप्रार्थी संख्या 1 वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन, बैचान भारग्रस्त नहीं करे। उक्त कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार है अन्य आक्षेप में कहा कि प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के साथ मारपीट करता है जिसके संबंध में थाना के0पाटन में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही चल रही है। प्रार्थी के आंतक से परेशान होकर अप्रार्थीगण ग्राम बल्लोप में निवासरत है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण से कोई बोलचाल नहीं है। प्रार्थी यदि अप्रार्थी सं0 3 की शादी में शामिल होता तो अप्रार्थी सं0 मनिषा के पति का नाम जान पाता। प्रार्थी ने अपनी बहन मनिषा के पति का नाम प्रार्थना पत्र में गलत अंकित किया हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 4 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख मे कोई हिस्सा दर्ज नही है। आर0टी0 एक्ट 1955 की धारा 15 व 19 के अनुसार खातेदारी अधिकार वही व्यक्ति सिद्ध कर सकता है जिसका नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज हो। वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है वादी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई स्वामित्व या अधिकार नही है। प्रार्थी का यह कथन कि यह भूमि पेतृक है और अनुसूचित जन जाति नियमों से हिस्सेदारी मिलनी चाहिये गलत है धारा 45 आर0टी0 एक्ट के अनुसार बिना नाम दर्ज हुये खातेदारी का दावा शुन्य है। प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में नही होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही होने से निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायसंगत नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। यह कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री है। यह कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अनुसूचित जन जाति मीणा के सदस्य है जिन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। जिसके तहत पुत्र उत्तराधिकारी की जिवित अवस्था मे पुत्री उत्तराधिकार का कोई हक व अधिकार नही होता है इस प्रकार वाद वर्णित जो कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थी का वाद वर्णित भूमि पर 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वाद वर्णित भूमि पर निहित प्रार्थी के 1/3 हिस्से पर हक व अधिकार मानने से इन्कार कर दिया साथ ही मे प्रार्थी के 1/3 हिस्से को भी अन्यत्र रहन बैचान करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी करने की कृपा करें कि यह कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या 414 पुराना 387 खसरा संख्या 1150/103 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 1154/285 रकबा 0.3480 हैक्टेयर नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 11457/286 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय कुल किता 3 कुल रकबा 1.4244 हैक्टेयर जो ग्राम भूमाखेड़ा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान विस्थित है। पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एंव तहसील तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि उक्त 1/3 हिस्से का माप व सीमाज्ञान के आधार पर बंटवारा कर पृथक से दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रार्थी को इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि अप्रार्थी संख्या 1 वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन, बैचान भारग्रस्त नहीं करे। उक्त कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही अन्य से करावे।

दौराने बहस अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र में दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से यह वाद पेश किया है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के साथ कई बार मारपीट कर चुका है। जिसकी कार्यवाही थाना के0पाटन में जेरकार है। वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण से कोई बोलचाल भी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नामदर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का एवं प्रतिउत्तर का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी का खातेदार अप्रार्थी सं0 1 है प्रार्थी का वर्तमान में वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। सुविधा के संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर विचार करने पर प्रार्थी वाद वर्णित आराजी का खातेदार नहीं होने से उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध प्रमाणित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा